लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 25/2016

1. श्री महावीर प्रसाद जैन
2. श्री शान्ति लाल जैन

पुत्रगण श्री रोकड़चन्द जैन जाति महाजन निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील मसूदा जिला अजमेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री घीसा सिंह
2. श्री नन्द सिंह
3. श्री मल्ला सिंह

पुत्रगण श्री गोकल सिंह पौत्र श्री लाडू सिंह समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम बालोता की बाड़िया, तहसील मसूदा जिला अजमेर।

4. ग्राम पंचायत रामगढ़ जरिये सरपंच तहसील मसूदा जिला अजमेर।
5. श्री नौरत शर्मा पुत्र श्री नन्दलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील मसूदा जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 97
राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996

उपस्थित :–

श्री राकेश अरोड़ा, वकील प्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 17.05.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार 2017" का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री घीसा सिंह, श्री नन्द सिंह व श्री मल्ला सिंह पुत्रगण श्री गोकल सिंह पौत्र श्री लाडूसिंह समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम बालोता की बाड़िया, तहसील मसूदा जिला अजमेर द्वारा ग्राम पंचायत रामगढ़ के समक्ष आबादी भूमि का बापी पट्टा लेने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली क्रमांक 15 दिनांक 08.09.1990 निर्मित की जाकर पूर्ण वैधानिक कार्यवाही के पश्चात् दिनांक 08.09.1990 को प्रार्थीगण के पक्ष में 5984 वर्गगज का आबादी का बापी पट्टा जारी कर दिया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में जारी पत्रावली क्रमांक 15 दिनांक 08.09.1990 की पालना में दिनांक 08.09.1990 को जारी आक्षेपीय पट्टे से अंसतुष्ट होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। निगरानी पेश होने पर रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किए गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का वांछित रेकार्ड मंगवाने हेतु मांग पत्र जारी किया गया।

Scanned by CamScanner

लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

तहसीलदार मसूदा की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 श्री घीसा सिंह की मृत्यु हो चुकी है। न्यायालय द्वारा वकील प्रार्थीगण को मृतक के कायम मुकाम कार्यवाही करने हेतु काफी समय दिया गया। अत्यधिक समय दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा मृतक के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई। अतः निगरानी अदम तकमील में निरस्त की जाकर वकील प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेकर नये सिरे से प्रार्थना पत्र 90 दिवस में प्रस्तुत कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 17.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर
(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Sharma
Date: 2020.03.16 12:22:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: